(130)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ.2/07/2020/एस.1/129 दिनांकः 03.05.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, आदेश सं. डीडीएमए/कोविड/2020/47, दिनांक 14.04.2020 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारत सरकार के लॉकडाउन के विस्तार के अनुपालन में, लॉकडाउन अवधि को 3 मई, 2020 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 40–3/2020 डीएम–1 (ए) दिनांक 01.05.2020 के द्वारा, लॉकडाउन अवधि को आगे दो सप्ताह तक अर्थात् 4 मई, 2020 तक बढ़ाया गया है तथा कड़ाई से अनुपालन के लिए, जैसा संलग्न है, लॉकडाउन उपायों के लिए नए दिशा–निर्देश जारी किए है।

और जबकि, जैसा संलग्न है, नए दिशा–निर्देश रैड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और आरेंज जोन में जोखिम के प्रसार के आधार पर लागू होंगे।

और जबकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अ.स.पत्र सं. जेड. 28015/19/2020–ईएमआर, दिनांक 03.04.2020 के द्वारा दिल्ली के 11 जिलों को रैड जोन (हॉटस्पॉट) के रूप में वर्गीकृत किया है।

और जबकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार साप्ताहिक अथवा अपेक्षानुसार जल्दी रैड जोन (हॉटस्पॉट), आरेंज जोन और ग्रीन जोन की सूची तथा संबंधित जानकारी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से साझा करेगा।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि के विस्तार के संदर्भ में निदेश दिए जाते हैं कि :

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लॉकडाउन अवधि को आगे दो सप्ताह तक अर्थात् 17 मई, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

ख) ऐसे सभी आदेश जिनकी वैधता 3 मई, 2020 तक थी, 17 मई, 2020 अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, वैध रहेंगे, बशर्ते यह आदेश तथा नए दिशानिर्देश, जैसा संलग्न हैं, लागू किए जाते हों. किसी अंतर की स्थिति में, संलग्न दिशा–निर्देश लागू होंगे।

ग) दिनांक 03.05.2020 को समाप्त होने वाले पासों/ई–पासों/प्राधिकार पत्रों (जिलाधिकारियों/जिला पुलिस उपायुक्तों/विभागाध्यक्षों अथवा उनके द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी) की वैधता, अब 17.05.2020 तक बढ़ाई जाती है. इन्हें संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा री–वेलिडेट किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

घ) रैड जोन (हॉटस्पॉट) कनटेनमेंट जोन के बाहर, में अनुमत गतिविधियां गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल और साथ ही जनता तथा कार्यस्थलों के लिए कोविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों के कड़े अनुपालन के अनुसार होंगी, जैसा संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुलग्नक–I में निर्दिष्ट किया गया है।

ङ) कनटेनमेंट जोन में, सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा संलग्न दिशानिर्देशों के खंड 3–6 के अनुसार **सही भावना से कार्रवाई** की जाएगी. यह दोहराया जाता है कि रैड जोन (हॉटस्पॉट), आरेंज जोन, जहां अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, वहां कड़े पैमाने वाला नियंत्रण रखा जाएगाय प्रवेश और निकास स्थल बनाने सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि लोगों की इन जोन में मेडिकल इमर्जेंसी तथा अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा आवाजाही न हो सकेय बिना जांच के कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आ–जा न सके. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्थानीय निकाय ग्रेड–I/समकक्ष और उच्च स्तर के अधिकारियों की 100ः सीमा के साथ कार्य करेंगे. शेष कर्मचारी 33ः संख्या की सीमा के साथ, जैसा संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, कार्यालयों में उपस्थित होंगे. तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन और आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन तथा संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी तथा निगम सेवाएं बिना किसी पाबंदियों के कामकाज करेंगे तथा जन सेवाएं देना सुनिश्चित करेंगे, इस उद्देश्यार्थ आवश्यक स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभाग/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्थानीय निकाय/दिल्ली पुलिस, जैसा संलग्न हैं, लॉकडाउन उपायों पर नए दिशानिर्देशों का उचित तरीके से कड़ा क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे.

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्
4. आयुक्त (दक्षिण/पूर्व/उत्तर, दिल्ली नगर निगम)।
5. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
7. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।
8. प्रधान सचिव (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
10. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह – मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13 एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाईल